न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 123/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 31/12/2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित की कुल भूमि **27.230** हेक्टेयर भूमि में से **20.14** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम दुर्गपुरा की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	507	0.060	0.060
2	511	2.550	2.53
3	616	6.190	2.00
4	656	3.470	3.02
5	505	3.340	2.85
6	506	11.620	9.68
	कुल किता 6	27.230 **हेक्टेयर**	20.14 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। प्रकरण में दिनांक 11/03/2024 से अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कार्यालय सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं लिमि बड़ौद द्वारा भूमि आवंटन में विदयुत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) उपसभाग आगर-मालवा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत/परामर्श लिया जाएगा यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। प्रकरण में कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आगर-मालवा वनमंडल पत्र क्रमाक/2024/635 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत खंदवास द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 09.06.2024 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 है, 505 रकबा 3.34 हे .में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे. 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे., 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 है. भूमि को आवंटित किये जाने हेतु आवेदक स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उक्त भूमि ग्राम की गौचर भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अमृत सरोबर अतर्गत 02 तालाबों का निर्माण, 01 वाटर हार्वेस्टिंग पोण्ड, 03 सामुदायिक वृक्षारोपण परियोजनाए प्रगतिरत होकर वर्तमान में मनरेगा योजना अंतर्गत 03 परकोलेशन टेंक निर्माण किया जाना

प्रस्तावित है। जिनका निर्माण एव सरक्षण संवर्धन किया जाना अतिआवश्यक है। इसलिये उक्त भूमि आवंटन पर ग्राम सभा की आपत्ति मान्य करते हुए उक्त भूमि आवंटित नहीं की जावें। प्रकरण में पटवारी ग्राम दुर्गपुरा के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई। पटवारी से प्राप्त जाच रिपोर्ट अनुसार ग्राम का शामिल जोत का रकबा 338.73 हे. है। शासकीय मद गैर मुमकीन चरनोई का रकबा 48.48 हे. मिसल बंदोबस्त में दर्ज है। शामिल जोत के रकबे का 2 प्रतिशत 6.77 हे. होता है। उक्त भूमि आवंटन के पश्चात चरनोई का शेष रकबा 45.46 हे बचता है। जो कि चरनोई के 2 प्रतिशत रकबा 6.77 हे. से अधिक है। अतः भूमि आवंटन से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होता है। हल्का पटवारी दुर्गपुरा द्वारा ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 हे., 505 रकबा 3.34 है. में से 2.85 हे., 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 है. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे कुल किता 06 कुल रकबा 20.14 है. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम दुर्गपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 है. 507 रकबा 0.060 हे. 505 रकबा 3.34 है. में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 20.14 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम दुर्गपुरा की सिंचित भूमि 13,42,080 (अक्षरी तेरह लाख बयालीस हजार अस्सी रूपये) प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6- 101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 4,32,47,185/- (अक्षरी चार करोड बत्तीस लाख सैतालीस हजार एक सौ पिचयासी रूपये) होता है। तहसीलदार बडौद द्वारा ग्राम दुर्गपुरा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमाक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे. 507 रकबा 0.060 हे. 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे., 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे. 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 20.14 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन श्रीमान की ओर उचित कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम दुर्गपुरा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 हे., 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 27.230 हे. मे से 20.14 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत खंदवास द्वारा उनके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 09.06.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। जिसमे पाया गया की ग्राम दुर्गपुरा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 हे., 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 27.230 हे. मे से 20.14 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा अमृत सरोबर अतर्गत 02 तालाबों का निर्माण, 01 वाटर हार्वेस्टिंग पोण्ड, 03 सामुदायिक वृक्षारोपण परियोजनाए प्रगतिरत होकर वर्तमान में मनरेगा योजना अंतर्गत 03 परकोलेशन टेंक निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि छोड़ कर दिया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 4.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम दुर्गपुरा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्र. 511 रकबा 2.55 है. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 हे., 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 27.230 हे. मे से 20.14 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021अनुसार ग्राम दुर्गपुरा तहसील बडौद स्थित कुल किता 06 कुल रकबा 27.230 हे. में से 20.14 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 4,32,47,185/- (अक्षरी चार करोड बत्तीस लाख सैतालीस हजार एक सौ पिचयासी रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।
5. अगर आवेदित भूमि पर किसी भी प्रकार की विद्युत संरचना स्थापित है तो उसके संबंध में विद्युत विभाग से अभिमत प्रापत किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें। 31/12/24

(राघवेन्द्र सिंह)

कलेक्टर

जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/574

आगर मालवा, दिनांक 31/12/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें। 31/12/24

कलेक्टर

जिला आगर मालवा म.प्र.

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दूर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद		जिला:आगर-मालवा			वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416719 81Q5KAD8Z0UYH0	505/2 (S)		2.8500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:दुर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416822 81Q61ED8NTPPH0	506/2 (S)		9.6800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दुर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1355466058 81Q6GTD8Z07KH0	507 (S)		0.0600 हेक्टेयर पहाड चटटान 0.0600 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दुर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416765 81Q7YHD8NV8DH0	511/1 (S)		2.5300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						अन्य जलश्रोत न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दुर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416787 81Q44TD8Z2RTH0	616/2 (S)		2.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दुर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416743 81Q2BED8Z4Q2H0	656/2 (S)		3.0200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट